>

Title : Need to set up separate police stations for registering cases of atrocities against Dalits and increase the number of special courts for timely disposal of their cases.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): दलितों की स्थिति सुधारने तथा उन पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार के द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम-1989 में सख्त प्रावधान किए गए, जिससे दलितों पर अत्याचार की घटनाओं को रोकने में मदद मिल सके। इसी अधिनियम में विशेष अदालतें स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है, जिससे ऐसे मामलों को त्वरित गति से निस्तारित किया जा सके। लेकिन वास्तविकता में अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है, पुलिस के स्तर पर विवेचना के मामलों में वृद्धि हो रही है, विशेष न्यायालयों में भी लम्बित मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। दलित समाज को त्वरित सहायता पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि महिला पुलिस स्टेशन की तर्ज पर दलितों के लिए अलग से पुलिस स्टेशनों की स्थापना की जाये। एफ.आई.आर. बिना विलम्ब तत्काल दर्ज हो और विशेष अदालतों की संख्या में वृद्धि की जाये ताकि मुकदमों को तीन माह के अंदर अंतिम रूप से निर्णित कर दिया जाये। यह प्रावधान कर दिया जाना चाहिए कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तीन महीने के अंदर मुकदमा अंतिम रूप से निर्णित हो जाये।